समाहरणालय पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)
आदेश

कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण एवं फैलाव को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा The Epidemic Diseases Act,1897 की धारा–2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **Lockdown** करने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–40-3/2020-DM-I(A) दिनांक–21.04.2020 द्वारा छात्रों के लिए शैक्षणिक पुस्तकें की दुकानों के संचालन हेतु अनुमति प्राप्त करने हेतु निदेशित किया गया है। इसी क्रम में सरकार के अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार ने अपने पत्रांक–282/अ0मु0स0को0 दिनांक–23.04.2020 द्वारा समुचित नियंत्रण एवं सुरक्षात्मक उपायों के निर्धारण के पश्चात् छात्रों के लिए शैक्षणिक पुस्तकें की दुकानों का संचालन किये जाने का निदेश प्राप्त है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में **कोरोना वायरस (Covid-19)** के संक्रमण एवं फैलाव को देखते हुए वर्तमान में लागू लॉकडाउन के आलोक में पुस्तक दुकानों/निजी विद्यालय प्रबंधनों को दिनांक–24.04.2020 से 30.04.2020 तक प्रतिदिन प्रातः 06:00 बजे से संध्या 06:00 बजे तक निम्नांकित शर्तों के साथ किताबों को वितरण/विक्रय करने की अनुमति दी जाती है :--

1. किताबों को बिक्री दुकान पर एवं विद्यालय परिसर में काउंटर लगाकर की जायेगी।
2. बिक्री काउंटरों पर मात्र वर्ग– LKG से XII तक की अनिवार्य पुस्तकों की बिक्री की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में अन्य पुस्तकों यथा–प्रतियोगिता परीक्षा/कॉलेज आदि पुस्तकों की बिक्री नहीं की जायेगी।
3. भीड़–भाड़ से बचने हेतु स्कूल प्रबंधन को पुस्तक बिक्री/वितरण की योजना इस प्रकार से तैयार करेंगे कि प्रत्येक घंटे अधिकतम 25 सेट पुस्तकों का वितरण किया जा सके। इस हेतु अभिभावकों को पूर्व से सूचित कर दिया जायेगा।
4. बिक्री काउंटर पर केवल एक अभिभावक को जाने की अनुमति होगी।
5. अभिभावक को अपने बच्चे का विद्यालय द्वारा जारी आई0डी0 कार्ड अपनी फोटो आई0डी0 के साथ ले जाना आवश्यक होगा। इस स्कूल आई0डी0 को यातायात के उद्देश्यों के लिए पास माना जायेगा।
6. दो पहिया वाहन पर केवल एक व्यक्ति को अनुमति दी जायेगी एवं चार पहिया वाहन पर चालक के अतिरिक्त एक व्यक्ति को जाने की अनुमति होगी।
7. काउंटर पर पुस्तक खरीदने हेतु आने वाले अभिभावकों एवं दुकान के कर्मी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
8. बिक्री काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का अनुपालन किया जायेगा, इसके लिए 6 फीट की दूरी पर एक सफेद वृत चिन्हित किये जायेंगे।
9. सर्दी/खांसी की लक्षणों वाले किसी को भी काम करने या काउंटर के पास आने की अनुमति नहीं होगी।
10. किसी भी बच्चे या वृद्ध व्यक्ति को इस कार्य हेतु आने की अनुमति नहीं होगी।
11. पुस्तक विक्रेता एवं अभिभावक के लिए बिक्री काउंटर पर सेनेटाईजर एवं साबुन की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
12. पुस्तकों के मूल्य का प्रदर्शन सुनिश्चित किया जायेगा, ताकि प्रक्रिया में विलंब न हो।

Scanned with CamScanner

13. किसी भी परिस्थिति में 20 अभिभावकों से अधिक की उपस्थिति एक साथ न हो, इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त के आलोक में निदेशित है कि उक्त निदेशों के उल्लंघन की स्थिति में इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी विद्यालय प्रबंधन/पुस्तक विक्रेता की होगी एवं तदाआलोक में आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 में निहित सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत स्कूल प्रबंधन/ दुकानदारों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण निरीक्षण कर उपरोक्त आदेश का अनुपालन करायेंगे तथा सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्क्षण कार्रवाई करेंगे।

ह0/-

जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 816 **/जि0आ0, मोतिहारी** **दिनांक–** 25/4/20

प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित है कि उक्त आदेश से सभी संबंधित निजी विद्यालय प्रबंधन को यथाशीघ्र अवगत कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता/उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन/अपर समाहर्त्ता, लो0शि0नि0, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/4/2020

जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

Scanned with CamScanner